

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2060]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 19, 2016/श्रावण 28, 1938

No. 2060]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 19, 2016/SRAVANA 28, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2016

का.आ. 2742(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 (क) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1315(अ) तारीख 05 अप्रैल 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 5 अप्रैल, 2016 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की में वर्णित पहले पृष्ठ के पहले पैरा पंक्ति 3 में “रुद्रप्रयाग जिल” के स्थान पर “देहरादून जिले” पढ़ा जाए।

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में वर्णित पहले पृष्ठ पर “राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-34” के स्थान पर “राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58” पढ़ा जाए।

[फा. सं. एनएच-12037/18/2013/यू.आर./एनएच-II (वोल. 1)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पणी :-मूल अधिसूचना का.आ. 1315(अ), तारीख 05 अप्रैल, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 05 अप्रैल, 2016 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDEUM TO NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th August, 2016

S.O. 2742(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 3(A) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1315(E), dated the 5th April, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 5th April, 2016, namely:—

In the said notification, against on page No. 2 in Para No. 1 “National Highway No. 109” may be Read as “National Highway No. 58”

[F. No. 12037/18/2013/UR/NH-II (Vol. 1)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Foot note.:- The principal Notification was published vide S.O. 1315(E), dated the 5th April, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 5th April, 2016.